



Neutral Citation No. – 2026:AHC:61913

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 36210 वर्ष 2025

विवेक सिंह राणा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: कृष्ण दत्त तिवारी

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता

: नरसिंह पांडेय, जी.ए.

न्यायालय संख्या – 83

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण दत्त तिवारी, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री नरसिंह पांडेय को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत यह आवेदन दिनांक 06.09.2020 के आरोप-पत्र तथा दिनांक 21.11.2024 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ आपराधिक वाद संख्या 6513 वर्ष 2024 (राज्य बनाम विवेक राणा), जो वाद संख्या 129 वर्ष 2020 से उत्पन्न हुआ है, धारा 307 भारतीय दंड संहिता, थाना-सिविल लाइन, जनपद-रामपुर के अंतर्गत, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर, जनपद रामपुर के न्यायालय में लंबित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि दिनांक 12.12.2025 के आदेश द्वारा संबंधित विचारण न्यायालय को पक्षकारों के मध्य निष्पादित समझौते के तथ्य का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था। उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में दोनों पक्षकार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने समझौते का सत्यापन कराया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अनुपूरक शपथपत्र के माध्यम से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा पारित दिनांक 13.01.2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ सत्यापित समझौते की एक प्रति दाखिल की है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि दोनों पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने समझौते का सत्यापन किया।

5. प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध से संबंधित है। इस मामले में केवल एक घायल व्यक्ति है। चोट आख्या तथा अनुपूरक चोट आख्या के परिशीलन से ज्ञात होता है कि पीड़ित को चार चोटें आई थीं, जो साधारण प्रकृति की थीं। पीड़ित को कार से कुचलने का प्रयास करके हमला किए जाने का आरोप है।

6. उच्चतम न्यायालय ने नौशे अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2025) 4 एस.सी.सी. 78 में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:-

“15.4. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आएंगे और इसलिए उन्हें केवल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध न मानकर समाज के विरुद्ध अपराध माना जाएगा। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और/या आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, केवल इस आधार पर कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पक्षकारों ने अपने समस्त विवादों का आपस में निपटारा कर लिया है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं की जा सकती।

तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर अपना निर्णय नहीं करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह परीक्षण करना अनुमन्य होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का समावेश मात्र औपचारिक रूप से किया गया है अथवा अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जो सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बन सकते हैं।

इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय लगी हुई चोट की प्रकृति, क्या ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक अंगों पर पहुंचाई गई है, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि पर विचार कर सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा परीक्षण केवल अन्वेषण के पश्चात साक्ष्य एकत्र हो जाने और आरोप-पत्र दाखिल होने/आरोप विरचित होने और/या विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। जब मामला अभी अन्वेषणाधीन हो, तब ऐसा परीक्षण अनुमन्य नहीं है।

अतः नरिंदर सिंह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 29.6 एवं 29.7 में दिए गए अंतिम निष्कर्ष को उपर्युक्त परिस्थितियों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए।”

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया कि दोनों पक्षकारों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से, बिना किसी अनुचित दबाव के, अपने मतभेदों का समाधान कर लिया है और अब वे शांतिपूर्वक रह रहे हैं। सत्यापित समझौता-पत्र तथा विद्वान विचारण न्यायालय का सत्यापन आदेश अभिलेख पर उपलब्ध है।

8. विद्वान ए.जी.ए. ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है और उसका विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत सत्यापन भी किया जा चुका है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि वास्तविक एवं सारभूत न्याय करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि *ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 5333, बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 3 एस.सी.सी. 675 तथा नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस.सी.सी. 466* के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है। अतः जहां पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया हो, वहां आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

10. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार अब इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, इस वाद को लंबित रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तथा इस मामले में दोषसिद्धि की संभावना भी अत्यंत क्षीण है। अपराध निजी प्रकृति का है और इसका समाज पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं है। चूंकि पक्षकारों ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का पारस्परिक रूप से निपटारा कर लिया है, अतः इस मामले को आगे चलाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है तथा दिनांक 06.09.2020 का आरोप-पत्र और दिनांक 21.11.2024 का संज्ञान/समन आदेश तथा आपराधिक वाद संख्या 6513 वर्ष 2024 (राज्य बनाम विवेक राणा), जो वाद संख्या 129 वर्ष 2020 से उत्पन्न हुआ है, धारा 307 भारतीय दंड संहिता, थाना-सिविल लाइन, जनपद-रामपुर के अंतर्गत, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर, जनपद रामपुर के न्यायालय में लंबित संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा **निरस्त** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25 मार्च, 2026

शुभम

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”